क्रमांक 5179-I जी: एस-I-72/228576

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 28-9-72

विषय:- अनुशासनिक मामलों में इन्कवायरी आफिसर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बारे में अनुदेश ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि जब सरकारी कर्मचारियों को पनिशमैंट एण्ड अपील रुल्ज के तहत शो-काज नोटिस दिया जाता है तो कई दफा वह रजिस्ट्री द्वारा उनको भेजा जाता है । इसी प्रकार दूसरे जरुरी आदेश भी सम्बन्धित कर्मचारियों को कई दफा रजिस्ट्री द्वारा भेजे जाते हैं जिसके लिये सरकारी फाईल में इस प्रकार का प्रमाण होता है कि ऐसा शो-काज नोटिस या जरुरी पत्र इत्यादि कर्मचारियों को रजिस्ट्री द्वारा भेजे गए हैं और जहां रजिस्टर्ड पत्रों को अकनोलिजमैंट ड्यू कर दिया जाता है तो उस स्थिति में प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर इत्यादि भी सम्बन्धित फाईल पर या कार्यालय में मौजूद रहता है जिस से यह पता चल जाता है कि उन्हें पत्र प्राप्त होगया है तथा ऐसा किस तिथि को हुआ ।

2. सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि जब किसी अधिकारी के विरुद्ध जांच चल रही हो और उसे शो-काज नोटिस इत्यादि भेजा गया हो तो जांच अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं करते कि क्या कर्मचारियों को वास्तव में शो-काज नोटिस द्वारा भेजा गया था तथा क्या इसका प्रमाण फाईल में मौजूद है या कि नहीं । वे केवल इस बात को परिज्यूम कर लेते हैं कि उन्हें शो-काज नोटिस इत्यादि रजिस्ट्री द्वारा भेजा जाना क्योंकि बताया गया है इसलिये रजिस्ट्री जरुर कर दी गई होगी तथा सम्बन्धित कर्मचारी को अवश्य मिल गई होगी ।

3. सरकार ने इस स्थिति पर विचार किया है और यह निर्णय लिया गया है कि जब भी जांच अधिकारी किसी कर्मचारी के विरुद्ध जांच करें तो वह इस बात को अवश्य देखे कि क्या वास्तव में उन्हें शो-काज नोटिस रजिस्ट्री द्वारा जारी कर दिया गया है और इसका प्रमाण सम्बन्धित फाईल में मौजूद है । इस बात को परिज्यूम नहीं किया जाना चाहिए कि शो-काज नोटिस रजिस्ट्री द्वारा जारी कर दिया गया होगा ।

4. इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में लाया जाता है कि ऐसा परिज्यूम करना गैर कानूनी भी है । हाल ही में पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 1967 वर्ष की सिविल रिट नम्बर 2846 में इस बारे में निर्णय लिया गया है तथा इस निर्णय में हाई कोर्ट ने निम्नलिखित ओबजरवेशन की है :-

> "It is really regrettable that neither the Enquiry Officer nor the Collector, nor the Commissioner applied his mind to the requirements of law to find out whether the letters alleged to have been sent to the petitioner by registered post had in fact been posted, as in the absence of the proof of that fact no presumption could be drawn that the letters had reached him because they were not received back undelivered. The Enquiry Officer based his conclusions on that presumption and so did the Collector, but the Commissioner did not deal with the matter."

5. इसलिये आपसे अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में जांच अधिकारी जांच करते समय या विभागीय कार्यवाही करते समय उपरोक्त हिदायतों को और खासतौर पर पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा की गई आलोचना को ध्यान में रखें तथा स्थिति की पूरी तरह जांच करके ही कार्यवाही की जाए और कोई परिजम्मपशन draw की जाये । यह हिदायतें सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में ला दी जाएं ताकि इनका दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए ।

6. आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि इस पत्र की पावती भेजी जाए ।

भवदीय,

हस्ता-

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है :-